UPSI180001012004

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद-सीतापुर।

पीठासीन अधिकारी- रोहित पुरी (उ०प्र० न्यायिक सेवा)-UP3474

दीवानी वाद संख्या-82/ 2004

1. मनोहर लाल उम्र लगभग 48 वर्ष,

2. मुन्ना (मृतक दौरान मुकदमा)

पुत्रगण पग्गल, निवासीगण ग्राम जोधौरा, परगना बाड़ी, तहसील सिधौली, जिला सीतापुर।

2/ 1. श्रीमती मायावती उम्र 50 वर्ष पत्नी स्व० मुन्ना,

2/ 2. आशीष उम्र 24 वर्ष पुत्र स्व० मुन्ना,

2/ 3. मनीष उम्र 21 वर्ष पुत्र स्व० मुन्ना,

2/ 4. विक्की उम्र 18 वर्ष पुत्र स्व० मुन्ना,

2/ 5. रिक्की उम्र 14 वर्ष अवयस्क पुत्र मुन्ना संरक्षिका सगी माता श्रीमती मायावती,

निवासीगण ग्राम जुन्धौरा, परगना बाड़ी, तहसील सिधौली, जिला सीतापुर।

.....वादीगण।

बनाम

1. शान्ती देवी उम्र लगभग 45 वर्ष पुत्री स्व. मैकू पत्नी सन्नू,

निवासी ग्राम कोरौना, परगना व तहसील मिश्रित, जिला सीतापुर।

2. शकुन्तला उम्र लगभग 38 वर्ष पुत्री स्व. मैकू पत्नी गोवर्धन,

निवासी ग्राम खैरन्देशनगर ग्रन्ट, परगना बाड़ी, तहसील सिधौली, जिला सीतापुर वारिद हाल मोहल्ला तुलसी नगर, कस्बा व तहसील सिधौली, जिला सीतापुर।

3. सन्नू उम्र लगभग 50 वर्ष पुत्र लल्तू,

निवासी ग्राम कोरौना, परगना व तहसील मिश्रित, जिला सीतापुर।

4. गोवर्धन उम्र लगभग 45 वर्ष पुत्र लल्तू,

निवासी ग्राम तुलसीनगर, कस्बा व तहसील सिधौली, जिला सीतापुर।

.....प्रतिवादीगण।

निर्णय

1. प्रस्तुत वाद वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा एवं बटवारा संस्थित किया गया है।

2. वाद-पत्र में वादीगण के कथन इस प्रकार हैं कि, "वादीगण एवं प्रतिवादिनी संख्या-1 व 2 के संबंध में पारिवारिक शिजरा में लल्तू के दो पुत्र दौलत (मृतक) व कीढ़ा (मृतक)। दौलत (मृतक) के तीन पुत्र पूरन (लावल्द मृतक), पग्गल व सैफू (लावल्द मृतक)। पग्गल के दो पुत्र मनोर व मुन्ना तथा कीढ़ा (मृतक) के उत्तराधिकारी शान्ती देवी (पुत्री मैकू) व शकुन्तला (पुत्र मैकू) हैं। वादीगण व प्रतिवादिनी संख्या-1 व 2 का

Digitally signed by ROHIT PURI
Date: 2026.05.18 15:25:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court
Sitapur

पैतृक मकान ग्राम जुन्धौरा, परगना बाड़ी, तहसील सिधौली, जिला सीतापुर में स्थित है जो वादीगण व प्रतिवादिनी संख्या-1 व 2 के पिता की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ है। सम्पूर्ण मकान को वाद-पत्र के साथ संलग्न नक्शा-नजरी में अक्षर अ,ब,स,द, से दर्शाया गया है। नक्शा-नजरी वाद-पत्र का अंश है। मकान की सीमायें निम्न प्रकार है:- पूरब - मकान चन्द्रिका, पश्चिम - मकान मुन्नीलाल, उत्तर - रास्ता खड़न्जा, दक्षिण - खड़न्जा गली वादीगण उक्त मकान के सहस्वामी व काबिज हैं। प्रतिवादिनी संख्या-1 व 2 के पिता की मृत्यु लगभग 25 वर्ष पूर्व हो गयी थी और वादीगण के पिता पग्गल की मृत्यु लगभग 8 वर्ष पूर्व हो गयी थी। वादीगण के पिता पग्गल व प्रतिवादिनी संख्या-1 व 2 के पिता मैकू के कोई पुत्र नहीं था, के मध्य प्रश्नगत पुश्तैनी मकान का आपसी बटवारा शिजरा के अनुसार हो गया था। आपसी बटवारा के मुताबिक 1/2 अंश पूरब की ओर वादीगण के पिता को मिला था जिसे नक्शा-नजरी में अक्षर य,र,व,स, से दर्शाया गया है तथा मकान का पश्चिमी 1/2 अंश प्रतिवादिनी संख्या-1 व 2 के पिता मैकू को मिला था जिसे नक्शा-नजरी में वाद-पत्र में अक्षर अ,द,य,र, से दर्शाया गया है। बाहमी बटवारा के बाद वादीगण व प्रतिवादिनी संख्या-1 व 2 के पिता अपने हिस्से में काबिज रहे। वादीगण व प्रतिवादिनी संख्या-1 व 2 के पिता की मृत्यु के बाद वादीगण अपने पिता के अंश य,र,व,स, पर काबिज व दखील चले आ रहे हैं। वादीगण ने अपने अंश पर नव-निर्माण भी कराया है। वादी नम्बर-1 अपने रोजगार के सिलसिले में अधिकतर कस्बा महमूदाबाद, सिधौली, जिला सीतापुर में निवास करता है तथा वादी नम्बर-2 अपने रोजगार व नौकरी के सिलसिले में अधिकतर लखनऊ में निवास करता है। वादीगण के अधिकतर बाहर रहने के कारण प्रतिवादीगण की नीयत वादीगण के हिस्से पर खराब है। प्रतिवादिनी संख्या-1 व 2 काफी दबंग व गिरोहबन्द किस्म के व्यक्ति हैं। प्रतिवादी नम्बर-1 व 2 अपने पति की मदद से वादीगण के अंश य,र,व,स, पर जबरन निर्माण करके अपने मकान में मिला लेना चाहती है जबकि प्रतिवादिनी संख्या-1 व 2 को ऐसा कृत्य करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है और न वादीगण के हिस्से से कोई वास्ता व सरोकार है। वाद का कारण दिनांक-16.03.2004 को उस समय उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण विवादित स्थल पर मजदूर लेकर आये और प्रश्नगत मकान के पूर्वी अंश पर निर्माण करने का प्रयास किया, परन्तु वादीगण व अन्य कुछ सम्भ्रान्त व्यक्तियों के मौके पर पहुंच जाने तथा विरोध करने के कारण प्रतिवादीगण अपने कुकृत्य में सफल नहीं हो सके, परन्तु प्रतिवादीगण ने निकट भविष्य में जबरन निर्माण करने व कब्जा करने की खुली धमकी दिया जो बराबर प्रयासरत हैं। इस कारण प्रस्तुत वाद दायर करने की आवश्यकता हुई तथा कानूनी तौर पर बटवारा कराकर वादीगण को अपने हिस्से को अलग कराने की आवश्यकता हुई। वाद का कारण दिनांक-16.03.2004 को ग्राम जुन्धौरा, परगना बाड़ी, तहसील सिधौली, जिला सीतापुर में उत्पन्न हुआ जो रोज बना हुआ है जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। अन्त में निम्नलिखित याचना की गयी है कि- डिक्री स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरुद्ध

प्रतिवादीगण इस आशय से प्रदान की जावे कि प्रतिवादीगण को वादीगण के शान्तिपूर्ण कब्जे व इस्तेमाल में किसी प्रकार हस्तक्षेप करने से सदैव के लिए मना किया जाता है। प्रतिवादी संख्या-1 व 2 के विरुद्ध वादीगण के पक्ष में बटवारा की आज्ञाप्ति इस आशय से प्रदान की जाए कि प्रश्नगत मकान स्थित ग्राम जुन्धीरा, परगना बाड़ी, तहसील सिधौली, जिला सीतापुर में वादीगण का 1/2 भाग बांटकर अलग कर दिया जाए, वाद व्यय वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जाए तथा अन्य सहायता जो न्यायालय उचित समझे, वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलायी जाए।"

3. प्रतिवादी संख्या-1 व 2 की ओर से लिखित उत्तर कागज संख्या-17क1 प्रस्तुत कर वाद-पत्र की धारा-1 ता 10 के कथनों से इंकार करते हुए विशेष रूप से यह अभिकथन किया गया है कि, "वाद-पत्र के साथ संलग्न नक्शा-नजरी मौके के आधार पर सही नक्शा नहीं है। इस कारण वादोत्तर के साथ मौके का सही नक्शा नजरी प्रस्तुत किया जा रहा है। पग्गल व मैकू के मध्य जो बंटवारा हुआ था वह अन्तिम था और उक्त बंटवारे के आधार पर उभय पक्षों के मकान अपने-अपने स्थान पर बने हैं और उसी बंटवारे के आधार पर सहन अपने अपने स्थान पर स्थित है। अब वादीगण अतिरिक्त बंटवारे द्वारा वास्तविक बंटवारे को झुठला करके प्रतिवादी संख्या-1 व 2 के द्वारा निर्मित मकानों का अंश को हड़प करना चाहते है और साथ में स्थाई निषेधाज्ञा का झूठा वाद दबाव बनाने के लिए प्रस्तुत कर दिया है, क्योंकि प्रतिवादीगण-1 व 2 अपने अंश पर निर्माण भी करा चुके है तथा पुनः बंटवारे की डिक्री हेतु कानूनन कोई काज ऑफ एक्शन उत्पन्न नहीं हुआ। वादीगण ने अपने वाद-पत्र में उभय पक्षों के मकानों तथा कथित विवादित अंश को माप जो कराकर नहीं दिखाया है। प्रतिवादी संख्या-2 लखनऊ में रहता है और प्रतिवादी संख्या-1 सिधौली में आबाद हो गया है। उनके हिस्से के मकान गिरे पड़े है और वह लोग बंटवारे के विधिक हिस्सा प्राप्त करके उसे विक्रय करना चाहते है। वादीगण के पिता ने विवादित भूमि के दक्षिण रास्ते के बाद संयुक्त जोत में अधिक भाग लेकर अपने मकान का निर्माण कराया था, जिसे उन्होंने बिन्द्रा पुत्र रोहन के हाथ विक्रय कर दिया है तथा पक्का कुआं व जगह भी वादीगण के पिता ने अकेले प्राप्त कर लिया था। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या-1 व 2 अपने-अपने अंश पर काबिज हैं जिसका कोई उल्लेख उन्होंने वाद-पत्र में नहीं किया है और अब बदनीयती से प्रतिवादीगण-1 व 2 के बने हुए मकानों का अंश हड़पने के लिए लालचवश गलत वाद दायर कर दिया है। वादीगण को कोई अधिकार नहीं है कि पूर्व वास्तविक बंटवारे के बाद अब पुनः प्रतिवादीगण के स्वामित्व व अधिकार व आवासीय मकानों का बंटवारा करावें। प्रतिवादीगण ने कभी भी वादीगण के हिस्से के मकान व सहन पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया है। अतः उपरोक्त कारणों से वादीगण का वाद सव्यय खारिज किये जाने की याचना की गयी है।"

3. प्रतिवादी संख्या-3 व 4 की ओर से लिखित उत्तर कागज संख्या-22क1 प्रस्तुत कर वाद-पत्र की धारा-1 ता 10 के कथनों से इंकार करते हुए विशेष रूप से यह अभिकथन

किया गया है कि, "वाद-पत्र के साथ संलग्न नक्शा-नजरी मौके के आधार पर सही नक्शा नहीं है। इस कारण वादोत्तर के साथ मौके का सही नक्शा नजरी प्रस्तुत किया जा रहा है। पग्गल व मैकू के मध्य जो बंटवारा हुआ था वह अन्तिम था और उक्त बंटवारे के आधार पर उभय पक्षों के मकान अपने-अपने स्थान पर बने हैं और उसी बंटवारे के आधार पर सहन अपने अपने स्थान पर स्थित है। अब वादीगण अतिरिक्त बंटवारे द्वारा वास्तविक बंटवारे को झुठला करके प्रतिवादी संख्या-1 व 2 के द्वारा निर्मित मकानों का अंश को हड़प करना चाहते है और साथ में स्थाई निषेधाज्ञा का झूठा वाद दबाव बनाने के लिए प्रस्तुत कर दिया है, क्योंकि प्रतिवादीगण-1 व 2 अपने अंश पर निर्माण भी करा चुके है तथा पुनः बंटवारे की डिक्री हेतु कानूनन कोई काज ऑफ एक्शन उत्पन्न नहीं हुआ। वादीगण ने अपने वाद-पत्र में उभय पक्षों के मकानों तथा कथित विवादित अंश को माप जो कराकर नहीं दिखाया है। प्रतिवादी संख्या-2 लखनऊ में रहता है तथा वादी संख्या-1 लखनऊ में आबाद हो गया है। उनके हिस्से के मकान गिरे पड़े है और वह लोग बंटवारे के विधिक हिस्सा प्राप्त करके उसे विक्रय करना चाहते है। वादीगण के पिता ने विवादित भूमि के दक्षिण रास्ते के बाद संयुक्त जोत में अधिक भाग लेकर अपने मकान का निर्माण कराया था, जिसे उन्होंने बिन्द्रा पुत्र रोहन के हाथ विक्रय कर दिया है तथा पक्का कुआं व जगह भी वादीगण के पिता ने अकेले प्राप्त कर लिया था। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या-1 व 2 अपने-अपने अंश पर काबिज हैं जिसका कोई उल्लेख उन्होंने वाद-पत्र में नहीं किया है और अब बदनीयती से प्रतिवादीगण-1 व 2 के बने हुए मकानों का अंश हड़पने के लिए लालचवश गलत वाद दायर कर दिया है। वादीगण को कोई अधिकार नहीं है कि पूर्व वास्तविक बंटवारे के बाद अब पुनः प्रतिवादीगण के स्वामित्व व अधिकार व आवासीय मकानों का बंटवारा करायें। प्रतिवादीगण ने कभी-भी वादीगण के हिस्से के मकान व सहन पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया है। प्रतिवादी संख्या-3 व 4 को उर्युक्त वाद में गलत पक्ष बनाया गया है, क्योंकि हम प्रितवादीगण का वादीगण से किसी प्रकार का कोई विवादित नहीं है। अतः उपरोक्त कारणों से वादीगण का वाद सव्यय खारिज किये जाने की याचना की गयी है।"

5. पत्रावली पर कमीशन आख्या कागज संख्या-40ग2 मय स्थल कार्यवाही व नक्शा विवादित स्थल कागज संख्या-40ग2/3 दाखिल है।उक्त कमीशन आख्या पर किसी पक्ष द्वारा भी कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गयी। अतः न्यायालय के आदेश दिनांकित 23.03.2009 द्वारा कमीशन आख्या साक्ष्य अधीन पुष्ट किया गया।

6. उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर दिनांक-25.04.2026 को न्यायालय द्वारा निम्नलिखित वादबिन्दु विरचित किये गये-

(1). क्या वादीगण विवादित मकान में 1/2 भाग को वाद-पत्र में वर्णित आधार पर पृथक करा पाने के अधिकारी हैं?

(2). क्या वादीगण द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है तथा प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?

(3). क्या वादीगण किसी अन्य अनुतोष को पाने के अधिकारी हैं?

न्यायालय के आदेश दिनांकित 22.09.2009 द्वारा पत्रावली में पुनः वाद बिन्दु निर्मित किये गये, परन्तु न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्मित वाद बिन्दु दिनांकित 25.04.2006 रद्द नहीं किये गये। अतः न्यायहित में न्यायालय द्वारा पुनः निर्मित वाद बिन्दु दिनांकित 22.09.2009 अतिरिक्त वाद बिन्दु समझे जायेंगे, जो कि निम्नलिखित हैं-

(4). क्या वादी नक्शा वाद-पत्र में दर्शित य,र,ब,स, के मालिक व काबिज हैं?

(5). क्या वाद का मूल्यांकन कम किया गया है और प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त अदा किया गया है?

(6). क्या वादीगण किसी अनुतोष को पाने के अधिकारी हैं?

7. वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में सूची सबूत कागज संख्या-12ग1 से एक किता एक किता खतौनी खाता संख्या-410 कागज संख्या-13ग1 दाखिल पत्रावली की गयी है तथा मौखिक साक्ष्य के रूप में साक्षी पी०डब्लू-1 मनोहर लाल का साक्ष्य शपथ-पत्र कागज संख्या-46क2, पी०डब्लू-2 नरेश का साक्ष्य शपथ-पत्र कागज संख्या-84क2, पी०डब्लू-3 सन्तलाल का साक्ष्य शपथ-पत्र कागज संख्या-85क2 व पी०डब्लू-4 गंगाराम का साक्ष्य शपथ-पत्र कागज संख्या-106क2 दाखिल किया गया है तथा पी०डब्लू०-1 मनोहर लाल, पी०डब्लू०-2 संतलाल व पी०डब्लू०-4 गंगाराम को प्रतिपरीक्षित कराया गया है।

8. प्रतिवादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में कोई भी प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा मौखिक साक्ष्य में साक्षी डी०डब्लू-1 शान्ती देवी का साक्ष्य शपथ-पत्र कागज संख्या-110क2, डी०डब्लू-2 छन्नूलाल का साक्ष्य शपथ-पत्र कागज संख्या-117क2 व डी०डब्लू-3 बाबूराम का साक्ष्य शपथ-पत्र कागज संख्या-118क2 एवं साक्षी डी०डब्लू-1 शान्ती देवी व डी०डब्लू-2 छन्नूलाल को प्रतिपरीक्षित कराया गया है।

9. मैनें उभय पक्ष पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

निष्कर्ष

10. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या-1 व 4:-</u> वादबिन्दु संख्या-1 इस आशय का विरचित किया गया है कि **क्या वादीगण विवादित मकान में 1/2 भाग को वाद-पत्र में वर्णित आधार पर पृथक करा पाने के अधिकारी हैं?** तथा वादबिन्दु संख्या-4 इस आशय का विरचित किया गया है कि **क्या वादी नक्शा वाद-पत्र में दर्शित य,र,ब,स, के मालिक व काबिज हैं?** उक्त वादबिन्दुओं को साबित करने का भार वादीगण है। वाद बिन्दु संख्या 1 व 4 एक ही विषयवस्तु से सम्बन्धित हैं तथा समान प्रकृति के हैं। अतः दोनों वाद बिन्दुओं को निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। वादीगण द्वारा यह अनुतोष याचित किया गया है कि वादीगण विवादित मकान, जिसे नक्शा वाद बिन्दु में अक्षर अ,ब,स,द से दर्शाया गया है, जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या-1 व 2 का पैत्रक मकान है, में वादीगण आधे भाग को पृथक करवाना चाहते हैं। उल्लेखनीय है कि उभय पक्षों द्वारा इस तथ्य पर

सहमति प्रकट की गयी है कि उक्त विवादित मकान वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या-1 व 2 का पैत्रिक मकान था, जिसके सम्बन्ध में उभय पक्षों के पितागण के मध्य बहमी बटवारा हो गया है। वादीगण द्वारा अपने अभिकथनों में मुख्यतः यह दावा किया गया है कि प्रश्नगत बहमी बंटवारा के मुताबिक विवादित सम्पत्ति के आधा अंश पूरब की ओर वादीगण के पिता को मिला था, जिसे नक्शा नजरी वाद पत्र में अक्षर य,र,ब,स से दर्शाया गया तथा मकान का पश्चिमी आधा अंश प्रतिवादिनीगण संख्या 1 व 2 के पिता मैकू को मिला था, जिसे नक्शा नजरी वाद पत्र में अक्षर अ,द,य,र से दर्शाया है। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस यह कथन किया गया कि वादीगण द्वारा विवादित सम्पत्ति अ,ब,स,द की कोई पैमाइश वाद पत्र में स्पष्ट नहीं की गयी है तथा न ही वादी ने अपने अंश व प्रतिवादीगण के अंश की पैमाइश वाद पत्र एवं नक्शा नजरी में लिखी है। वादीगण द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रश्नगत बहमी बटवारा में वादीगण के पिता को कितना रकबा उनके हिस्से में प्राप्त हुआ था। **वादी साक्षी पी0डब्लू0-1 मनोहर लाल ने अपनी जिरह कागज संख्या 103क1 के पृष्ठ-1 पर यह कथन किया है कि** "मैकू व परगल में विवादित भूमि का आधा-आधा बटवारा है। कितने फिट लम्बा-चैड़ा का बटवारा था, यह मैंने नापा नहीं है।" **वादी साक्षी पी0डब्लू0-2 सन्तलाल ने अपनी जिरह कागज संख्या 10क1 के पृष्ठ-1 पर कथन किया है कि** "विवादित मकान की लम्बाई-चैड़ाई हमने नापा नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता सकता हूँ।"

11. प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस यह कथन भी किया गया कि- "वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी एवं कमीशन आख्या दिनांक 15.10.2006 के साथ नक्शा नजरी भिन्न है। नक्शा नजरी वाद पत्र में विवादित मकान के उत्तर रास्ता प्रदर्शित किया गया है एवं वाद पत्र की धारा 2 में भी चैहद्दी में उत्तर रास्ता उल्लेख किया गया है एवं सम्पूर्ण पैतृक मकान को वाद पत्र के साथ नक्शा नजरी में चैकोर होना प्रदर्शित किया गया है। जबकि नक्शा कमीशन में अक्षर अ,ब,स,द,य,र,ल,व से प्रदर्शित मकान आठ कोने का है, जिससे वादीगण को बटवारे में प्राप्त अंश अ,ब,स,द से प्रदर्शित किया गया है, जो भी छः कोने का है, चैकोर नहीं है। आपसी बटवारा, जिसका वर्णन वाद पत्र की धारा-4 में है, उसमें वादीगण को प्राप्त पूरबी अंश के उत्तर हबीब का मकान व सहन है, जैसा कि कमीशन मैप में प्रदर्शित है, किन्तु वादीगण ने उक्त अपने अंश के उत्तर रास्ता होना वाद पत्र में एवं नक्शा नजरी में उल्लेख किया है। पत्रावली पर मौजूद कमीशन आख्या कागज संख्या 40ग2 तथा उसके साथ संलग्न नक्शा कमीशन के आवलोकन से प्रतिवादीगण के कथनों को समर्थन मिलता है कि वादीगण द्वारा वाद पत्र एवं वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी में वर्णित विवादित सम्पत्ति की आकृति व चैहद्दी अमीन आख्या में दर्शित चैहद्दी एवं आकृति से मेल नहीं खाती है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वादीगण द्वारा उक्त अमीन आख्या के विरूद्ध कोई लिखित आपत्ति पत्रावली पर दाखिल नहीं की गयी है। न्यायालय के आदेश दिनांकित 23.03.2009 द्वारा उक्त अमीन आख्या

बिना किसी आपत्ति साक्ष्य के अधीन पुष्ट की गयी थी। **वादी साक्षी पी0डब्लू0-1 मनोहर लाल ने अपनी जिरह कागज संख्या 103क2 के पृष्ठ-3 पर यह कथन किया है कि-** "विवादित मकान के उत्तर बनी लैट्रीन शान्ती की है। विवादित मकान के पूरब हबीब का मकान व सहन है। विवादित मकान के बाद कोलिया के बाद चन्द्रिका का मकान है।" इस प्रकार वादी संख्या 1 मनोहर लाल की जिरह बयान व वाद पत्र में किये गये कथनों में विरोधाभाष है। वादी संख्या 1 ने स्वयं अपनी जिरह के बयानों में विवादित सम्पत्ति की चैहद्दी वाद पत्र में उल्लिखित चैहद्दी के विपरीत बताया है।

12. वाद पत्र में वर्णित काफी कथन अस्पष्ट एवं भ्रामक हैं। वादीगण द्वारा जो सिजरा खानदान वाद पत्र की धारा-1 में दिया गया है, वह अस्पष्ट है। उक्त पारिवारिक सिजरा में शान्तीदेवी एवं शकुन्तला को मृतक कीड़ा की उत्तराधिकारी दर्शाया गया है, जबकि अन्य जगह दोनों प्रतिवादिनीगण को स्व0 मैकू की पुत्रियां होने का कथन किया गया है। वादीगण द्वारा दाखिल लिखित बहस में भी उक्त तथ्यों को स्पष्ट नहीं किया गया तथा लिखित बहस की धारा 4 में यह कथन किया गया है कि वादीगण के पिता स्व0 पग्गल व प्रतिवादिनीगण संख्या 1 व 2 के पिता स्व0 मैकू सगे भाई थे। प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा भी दौरान बहस यह कथन किया गया कि वादीगण द्वारा वाद पत्र में अस्पष्ट कथन किया गया है तथा वादीगण द्वारा दौरान बहस जो तथ्य कहे जा रहे हैं, वह वाद पत्र एवं असलियत से भिन्न हैं। प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा वादी के वाद पत्र की धारा 4 पर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट करवाया गया, जिसमें वादीगण ने यह कथन किया कि- "वादीगण के पिता पग्गल व प्रतिवादिनीगण संख्या 1 व 2 के पिता मैकू के पुत्र कोई नहीं था।" जबकि वादीगण स्वयं को पग्गल के पुत्र होना बताते हैं। वादी संख्या 1 द्वारा दाखिल साक्ष्य शपथ पत्र कागज संख्या 46ग2 की धारा 4 में भी वादी ने यही कथन किया है कि शपथकर्ता व वादी संख्या-2 के पिता पग्गल व प्रतिवादिनी संख्या 1 व 2 के पिता मैकू के कोई पुत्र नहीं था।

13. वादीगण द्वारा दैरान बहस यह कथन किया गया कि वे विवादित सम्पत्ति में अपने अंश, जिसे वाद पत्र के नक्शा नजरी में अक्षर य,र,ब,स से प्रदर्शित किया गया है के मालिक व काबिज दाखिल हैं। परन्तु वादीगण द्वारा इस तथ्य को भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रश्नगत बहमी बटवारा किस-किस सम्पत्ति के विषय में हुआ तथा प्रश्नगत विवादित सम्पत्ति के कितने रकबे के सम्बन्ध में हुआ तथा उक्त बहमी बटवारा किस दिनांक व किस सन में हुआ। **वादी साक्ष्य पी0डब्लू0-2 ने अपनी जिरह कागज संख्या 104ग2 में कथन किया है कि** "विवादित मकान का बटवारा पुराना है। न ही मैं सन बता सकता हूँ, न ही कब बटवारा हुआ मैं नहीं बता सकता हूँ।" प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा यह कथन भी किया गया कि, श्री पग्गल व श्री मैकू के मध्य जो बंटवारा हुआ था वह अन्तिम था और उक्त बंटवारे के आधार पर उभयपक्षों के मकान अपने-अपने स्थान पर बने हैं और उसी बंटवारे के आधार पर सहन अपने अपने स्थान पर स्थित है अब

वादीगण अतिरिक्त बंटवारे द्वारा वास्तविक बंटवारे को झुठला करके प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा निर्मित मकानों के अंश को हड़प करना चाहते हैं तथा साथ में स्थायी निषेधाज्ञा झूठा वाद दबाव बनाने के लिए प्रस्तुत किया गया है। क्योंकि प्रतिवादीगण एक व दो अपने अंश पर निर्माण भी करा चुकी है तथा पुनः बंटवारे की डिग्री हेतु कानूनन कोई कॉज आफ एक्शन उत्पन्न नहीं हुआ, तथा प्रतिवादीगण ने कभी भी वादीगण के हिस्से के मकान व सहन पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया है। वादीगण अधिवक्ता द्वारा यह जवाब दिया गया कि "उभयपक्षों द्वारा कथाकथित पूर्व बटवारा कानूनी तरीके से पक्षों को प्राप्त होने वाले अंश के समान न होकर असमान है, क्योंकि वादीगण के अंशों पर प्रतिवादीगण संख्या-1 व 2 द्वारा जबरन कब्जा करने के कारण ही वाद का कारण उत्पन्न हुआ, जिससे न्यायालय द्वारा बटवारा की डिक्री प्राप्त करके विधिक विभाजन से संतुष्टि एवं स्वामित्व प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए बटवारा वाद की आवश्यकता पैदा हुयी।" *विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि पक्षकारों के मध्य कोई मौखिक बटवारा हो जाता है तथा पक्षकारों द्वारा उक्त बटवारे के अनुसार विभाजित सम्पत्तियों में कब्जा कर लिया जाता है तो ऐसा मौखिक बटवारा पक्षकारों के मध्य बाध्यकारी होगा। एक बार विभाजन पर अमल हो जाने के बाद यह सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी हो जाता है, जिसे धोखाधड़ी साबित होने तक उन्हें बाद में समझौते को दुबारा चुनौती देने से रोकता है।*

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए वादीगण विवादित मकान में ओ भाग को पृथक करवा पाने के अधिकारी नहीं हैं तथा न ही वादीगण नक्शा वाद पत्र में दर्शित मकान य,र,ब,स के मालिक व काबिज हैं। तदनुसार वादबिन्दु संख्या-2 व् 4 वादीगण के विरूद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किये जाते है।

11. <u>निस्तारण वादबिन्दु संख्या-2:-</u> उक्त वादबिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि **क्या वादीगण द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है तथा प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?** उक्त वादबिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। उक्त वादबिन्दु का निस्तारण न्यायालय द्वारा दिनांक-22.09.2009 को नकारात्मक रूप से निर्णीत किया गया है, जो निर्णय का अंश रहेगा।

12. <u>निस्तारण वादबिन्दु संख्या-5:-</u> उक्त वादबिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि **क्या वाद का मूल्यांकन कम किया गया है और प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त अदा किया गया है?** वाद बिन्दु संख्या 2 व 5 यह वाद बिन्दु एक ही विषयवस्तु से सम्बन्धित हैं तथा समान प्रकृति के हैं। चूंकि वाद बिन्दु संख्या 2 का निस्तारण न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। इसलिए वाद बिन्दु संख्या 5 भी नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

12. <u>निस्तारण वादबिन्दु संख्या-3 व 6:-</u> उक्त वादबिन्दु इस आशय का विरचित किये गये है कि **क्या वादीगण किसी अन्य अनुतोष को पाने के अधिकारी हैं?** चूँकि वादबिन्दु संख्या-1 व 4 वादीगण के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किये गये हैं, इसलिये वादीगण

वाद-पत्र में चाहे गये अनुतोष व अन्य कोई अनुतोष को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। तदनुसार वादबिन्दु संख्या-3 व 6 निस्तारित किये जाते हैं।

इस प्रकार उपरोक्त समस्त विश्लेषण, वादी तथा प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल वाद-पत्र, प्रतिवाद-पत्र, साक्षियों के साक्ष्य, दस्तावेजीय साक्ष्य के विश्लेषण के आधार पर यह न्यायालय इस मत का है कि वादीगण अपना वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध साबित करने में असफल रहे है। परिणामतः वादीगण का वाद/ दावा खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। उभयपक्ष अपना-अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांकः-16.05.2026

(रोहित पुरी)
सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,
सीतापुर।
J.O Code-UP3474

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित करते हुये उद्घोषित किया गया।

दिनांकः-16.05.2026

(रोहित पुरी)
सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,
सीतापुर।
J.O Code-UP3474

बलवन्त
(स्टेनो)

****